संख्या-23/2023/750/तीस-4-2023/30-4099/142/2019

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 19 सितम्बर, 2023

विषयः सरकारी विभागों की गाड़ियों का अनुरक्षण एवं मरम्मत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3982/30-4-95-30जेबी/70, दिनांक 30.11.1995 में सरकारी विभागों की गाड़ियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया को संशोधित कर शासनादेश संख्या-2755/30-4-97-30जेबी/70, दिनांक 04.10.1997 द्वारा विषयगत प्रकरण में निर्धारित प्रक्रिया अद्यतन प्रभावी है। वर्तमान में वाहन अत्याधुनिक तकनीकी विशेषताओं से युक्त हैं, जिन्हें खुले बाजार के गैराजों में अथवा निर्माता से हटकर संचालित प्राइवेट गैराजों में इनका अनुरक्षण/ मरम्मत होना संभव नहीं होता है।

2- अत: आधुनिक तकनीकी तथा कम्प्यूटराइज्ड वाहनों के कलपुर्जों की कीमत एवं लेबर चार्जेज में वृद्धि के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 04.10.1997 को संशोधित करते हुए सरकारी विभागों की गाड़ियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के संबंध में निम्नवत् निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :-

1. जिन विभागों में गाड़ियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु तकनीकी स्टाफ उपलब्ध हैं जैसे- गृह, कृषि, लोक निर्माण, सिंचाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आदि, वहां पर गाड़ियों के मरम्मत हेतु बजट की सीमा के अन्तर्गत तकनीकी एवं प्रशासनिक सहमति उन्हीं विभागाध्यक्षों द्वारा दिये जाने के पश्चात विभागीय कार्यशालाओं में उनकी मरम्मत करायी जा सकेगी।

2. कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर वाहनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत रू0 25,000/- तक (जिनमें से टायर, ट्यूब एवं बैटरी शामिल नहीं है) आय-व्ययक सीमा के अन्तर्गत, अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य अधिकृत गैराज के माध्यम से कराये जा सकेगें।

3. मण्डल स्तर के अधिकारियों द्वारा रू0 60,000/- तक की सीमा से अधिक (बजट सीमा के अन्तर्गत) मरम्मत/अनुरक्षण हेतु तकनीकी स्वीकृति के लिए परिवहन विभाग अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की पुष्टि पर अधिकृत गैराज से आगणन प्राप्त कर कार्य कराये जाने की सुविधा अनुमन्य होगी।

4. विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों को अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु रू0 1,00,000/- से अधिक सीमा तक (बजट सीमा के अन्तर्गत) परिवहन विभाग अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर अधिकृत गैराज से कराया जा

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सकेगा।

5. सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा मरम्मत कराये जाने वाले वाहनों हेतु स्पेयर पार्टस अधिकृत फर्म/उत्पादक अथवा अधिकृत स्टाकिस्ट से ही क्रय किये जायेंगे और नियमानुसार प्रिंटेड मूल्य पर देय छूट भी ली जायेगी, जो पार्टस रिप्लेस किये जायेंगे उन्हें निष्प्रयोज्य करते हुए नीलाम अथवा नष्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।

6. अत्यन्त आकस्मिक परिस्थितियों में जिन अधिकारियों के पास राजकीय वाहन उपलब्ध है, बजट सीमा के अन्तर्गत प्रति गाड़ी एक वर्ष में रू0 4500/- तक छोटी-मोटी मरम्मत के लिए पूर्ववत् किसी अन्य अधिकारी की स्वीकृति अथवा अधिकृत गैराज से कार्य कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

7. यदि किसी वाहन में विशेष मरम्मत की आवश्यकता होगी, जो उपरोक्त शर्तों से आच्छादित नहीं है तो इस हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की स्वीकृति ली जानी होगी।

8. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30.11.1995 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर 'ग' एवं 'घ' में उल्लिखित मण्डल स्तर एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर निर्धारित समितियों की आवश्यकता नहीं होगी। शासनादेश दिनांक 30.11.1995 के प्रस्तर 3 एवं 4 में निर्धारित सीमा हेतु संशोधन के आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

3- उक्त शासनादेश संबंधित पत्रावली (कम्प्यूटर सं0-289493) के नोट-156 से नोट-161 पर अंकित वित्त विभाग की टिप्पणी/आदेश दिनांक 17.08.2023 में प्राप्त उनके परामर्श से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
(4) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उ0प्र0। (द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय)
(5) विधान सभा/विधान परिषद सिचवालय, उ0प्र0।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in